आन आपरमणा

जेपीडी–6 / 351

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

कमांक: जे.पी.डी. / मु.ले.अ(ले.क.रा.) / राज. / पत्रा.215/ प्रे. 1353 जयपुर, दिनांक: 11/6/12

O/O S.E. (IT) JVVNL, Jaipur

D.R. No: 476 Date 13-6-12

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि निगम अथवा बिलिंग ऐजेन्सी के मीटर रीडर, उपभोक्ता की सही रीडिंग नही ला पा रहे हैं जिसके कारण उपभोक्ताओ मे असंतोष तो उत्पन्न होता ही है पर वास्तविक उपभोग से कम रीडिंग लाये जाने पर निगम का राजस्व भी प्रभावित होता है। इसके साथ भारी राशि का बिल इकट्ठा मिलनें पर उपभोक्ता को भी बिल जमा कराने मे परेशानी होती है। इस संबंध में मीटर रीडिंग को सही और सुचारू रूप से लेने के लिए निम्न लिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. मीटर रीडर निर्धारित मीटर रीडिंग प्रोग्राम के तहत निर्धारित तिथि को प्रत्येक उपभोक्ता के यहां जा कर वास्तविक रीडिंग लेंगे। मीटर रीडिंग प्रोग्राम बिना किसी ठोस और न्यायसंगत कारण के नही बदला जायेगा। मीटर रीडिंग प्रोग्राम बनानें का दायित्व उपखण्ड सहायक राजस्व अधिकारी का होगा जिसको वृत लेखाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराना होगा ।
2. रेवेन्यू मैनूअल 2004 के अन्तर्गत सहायक राजस्व अधिकारी को निर्धारित समय अवधि में मीटर रीडरों की बीट परिवर्तित करने की जिम्मेदारी सोंपी गई है ताकि बीट परिवर्तन के बाद नया मीटर रीडर पुराने मीटर रीडर की यदि कोइ छोडी गई रीडिंग हो, और अन्य अनियमितता हो तो उसकी जानकारी ज्ञात हो सके। अतः संबन्धित सहायक राजस्व अधिकारी समय–समय पर मीटर रीडरो की बीट परिवर्तन करेगे एवं आश्वस्त हों कि वास्तव मे परिवर्तन हो गया है।
3. मीटर रीडर रीडिंग लेने के दरम्यान किसी प्रकार की असामान्यता जैसे मीटर बंद, मीटर खराब, मीटर जला हुआ, मीटर का असमान्य उंचाई पर लगाा होना, मीटर बाई–पास आदि का उल्लेख मीटर रीडिंग कार्ड (A-10) में करेगा और इसकी रिर्पोट अलग से निर्धारित प्रपत्र (RSEB A-30) में उल्लेखित करेगाा और मीटर रीडिग के साथ, संबन्धित सहायक राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।
4. यह भी देखा गया है कि उपभोक्ता की मीटर की रीडिंग अपठनीय अथवा मीटर के असामान्य उंचाई होने की दशा में मीटर रीडर अपनी मर्जी से काल्पनिक रीडिंग भर देते हैं इस दशा में काल्पनिक रीडिंग लेने के बजाय जो मीटर की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करेगे, जिससे TCOS के प्रावधानों के अन्तर्गत बिलिंग की जा सके। A-30 रिर्पोट राजस्व अधिकारी संबधित कनिष्ट अभियन्ता को प्रेषित करेगा जो सम्बन्धित उपभोक्ताओं के मीटर की वास्तविक जांच करके सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करेगा तत्पश्चात सहायक राजस्व अधिकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर विद्युत बिल की सही राशि का आंकलन करके उपभोक्ता के आगामी बिलों मे समायोजित करेगा।

5. मीटर चेन्ज की अवस्था में पुराने मीटर की अखिरी रीडिंग तथा नये मीटर की प्रारंभिक रीडिंग M.C.O Compliance में दिखाई जायेगी।सहायक राजस्व अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पुराने मीटर का उपभोग Advise 3A के द्वारा भेज कर बिलिंग कराये।
6. सुपर ट्रान्सफोर्मर की रीडिंग लेने के लिए उपभोक्ता की मदद से सीढी या अन्य किसी साधन से रीडिंग अवश्य ली जानी चाहिए, और जहां तक संभव हो रीडिंग रूट पर जाने से पहले विद्युत सप्लाई की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेनी चाहिऐ ताकि पुराने बिना बैटरी मोड के मीटरों की रींडिग ली जा सके।
7. मीटर रीडर के रीडिंग लेने के पश्चात सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिमाह 100 उपभोक्ताओं, सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिमाह 50 उपभोक्ताओं, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रतिमाह 25 उपभोक्ताओं तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रतिमाह 10 उपभोक्ताओं, की ली गई रीडिंग का Cross Verification करेगे। यदि Cross Verification मे कोई अन्तर आया तो मीटर रीडर को पहली गलती पर Show Cause नोटिस देंगे तथा यदि उसी मीटर रीडर ने दुबारा गलती की तो उसका तबादला अन्य Sub division मे कर दिया जावेगा। तीसरी बार गलती पाई जाने पर जिले के बाहर तबादला कर दिया जावेगा। यदि मीटर रीडर आउट सोर्स ऐजेंसी का है तो संबन्धित ऐजेंसी पर कार्यादेश की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।ऐसी गलती की पुनरावृति नही होनी चाहिए।

उक्त निर्देशो का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। संबधित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बरतने पर आवश्यक, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(कुंजीलाल मीणा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
ज.वि.वि.नि.लि., जयपुर

प्रतिलिपी वास्ते सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेशित है :-

1 मुख्य अभियन्ता ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
2 मुख्य लेखाधिकारी ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
3 अधीक्षण अभियन्ता (IT), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर को .... पर ....
4 वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,............................ ।
5 मैसर्स बीसीआईटीएस, खंडेला हाऊस, बी. 20, प्रथम तल, शिव मार्ग बनीपार्क,/ मैसर्स डाटा इंफोसिस, स्टेशन रोड, दुर्गापुरा, जयपुर ।

मुख्य लेखाधिकारी
(लेखा,कर एवं राजस्व)